राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त(नियम)/2022 **जयपुर, दिनांक : 19 MAY 2022**

आदेश

विषय: राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार दिनांक 1–4–2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इस निर्णय की कियान्विति हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 में आवश्यक संशोधन कमशः अधिसूचना क्रमांक प.12(2)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19–05–2022 एवं प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19–05–2022 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

उक्त नियमों में किये गये संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर जारी विभिन्न आदेशों / परिपत्रों / मेमोरण्डमों के प्रभावी / निरसित किये जाने के क्रम में राज्यपाल महोदय की अनुमति से निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं :

1. परिपत्र क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 7–9–2006 जो स्वायत्तशासी निकाय / बोर्ड / विश्वविद्यालय आदि में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में है, को इस सीमा तक निरसित किया जाता है कि:–

   (i) जो कर्मचारी इन संस्थानों में कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान एक्ट, 1954 के अन्तर्गत शासित हैं तथा जिन संस्थानों का गठन दिनांक 1–1–2004 से पूर्व होने पर भी उनके द्वारा दिनांक 1–1–2004 के उपरान्त भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है, वह पूर्व में लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होंगे।

   (ii) जिन स्वायत्तशासी निकाय / बोर्ड / विश्वविद्यालय आदि का गठन दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् हुआ है उनमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू रहेंगे।

2. आदेश क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13–11–2006 एवं आदेश क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 20–7–2009 को वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 24–03–2022 जारी होने से निरसित किया जाता है।

3. आदेश क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 27–8–2009 को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19–05–2022 में उल्लेखित विषय को छोड कर निरसित किया जाता है।

4. मेमोरेण्डम क्रमांक प.12(8)वित्त/नियम/2008 दिनांक 9-5-2013, 29-5-2015 एवं 6-12-2017 से संबंधित प्रावधानों को दिनांक 1-1-2004 से 31-3-2022 की समयावधि में NPS Subscriber के exit संबंधी विषय को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 की अधिसूचना क्रमांक प.12(2)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19-05-2022 में सम्मिलित कर लिये जाने से निरसित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7 प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

19/5/22

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(NPS 02 / 2022)